p>

Need to relax the norms of Zero Liquid Disposal (ZLD) for centralized sewage treatment plants in Bhiwandi and other parts of Maharashtra.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र भिवंडी तथा महाराष्ट्र राज्य में भारी मात्रा में कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और लघु उद्योग सक्रिय हैं। भिवंडी शहर को कपड़ा उद्योग का मंचेस्टर कहा जाता है। कपड़ा उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग है, जिसमें भारी मात्रा में देश के नागरिक कार्यरत हैं। पूरे देश के हिसाब से 21 फीसदी कपड़ा उद्योग सिर्फ भिवंडी और परिसर में विकसित होता है। महाराष्ट्र राज्य तथा भिवंडी लोक सभा क्षेत्र की ओर से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कपड़ा उद्योग और महाराष्ट्र के लघु उद्योग और अन्य उद्योगों के लिए जो पानी लगता है, उस पानी को सामूहिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने वाले घटकों को शून्य तरल निर्वहन जेडएलडी मानक से छूट दी जाए। संबंधित विषय पर विपणन और वस्त्रोद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिनांक 15.12.2015 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से मांग की है कि शून्य तरल निर्वहन में सामूहिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को छूट दी जाए। हाल ही में इस उद्योग को चलाने हेतु हमारे प्रधानमंत्री जी भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय से नम्र निवेदन है कि सामुहिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी चलाने वाले घटकों को शून्य तरल निर्वहन जेडएलडी मानक से छूट देने की कृपा करें।